23. Synthetic rubber and rubber chemicals.

24. Industrial explosives.

25. Insecticides, fungicides, weddicides and the like.

26. Paper and pulp including paper products.

27. Refractories and furnace-lining bricks.

28. Portland cement.

29. Basic drugs.

ANNEXURE—III

List of 15 industries in which automatic expansion to the extent of 5 per cent per annum or 25 per cent in the Five Year Plan period over and above the registered/licensed capacity is permitted.

1. Automobile ancillaries.

2. Castings and closed die forgings.

3 Tractors.

4. Commercial vehicles.

5. Conveying equipment.

6. Diesel engines, pumps.

7. Cranes.

8. Earth-moving, mining and metallurgical equipment.

9. Hydraulic equipment.

10. Industrial machinery, including chemical plant and machinery.

11. Machine Tools.

12. Textile machines.

13. Power transmission and distribution equipment (other than cables and wires).

14. Power transformers.

15. Switchgears.

ANNEXURE IV

Industries covered by the Technical Development Fund.

1. Iron and Steel Industries.

2. Non-ferrous metals.

3. Boilers and Steam Generating plants.

4. Prime Movers.

5. Electrical Equipments.

6. Telecommunications.

7. Transport Equipment.

8. Industrial Machinery.

9. Machine tools.

10. Agricultural machinery and implements.

11. Earth Moving Machinery, other machanical and engineering industries.

12. Commercial and other equipment.

13. Medical and surgical equipment.

14. Industrial instruments.

15. Scientific equipments and other instruments.

16. Fertilizers.

17. Chemicals.

18. Oil exploration.

19. Industrial gases.

20. Dyestuffs.

21. Drugs and pharmaceuticals.

22. Plup and paper.

23. Tyres, tubes and tyre cord.

24. Leather and leather goods.

25. Glass and Ceramics.

26. Cement.

राजस्थान परमाणु विद्युत् केन्द्र का दूसरा एकक आरम्भ किया जाना

5309. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु विद्युत् केन्द्र कोटा का दूसरा एकक आरम्भ करने में सरकार को हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बारे में हल कब तक ढूंढ लिया जाएगा और दूसरा एकक कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) क्या इस बारे में तारीख निश्चित कर ली गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) राजस्थान परमाणु बिजली घर के दूसरे यूनिट को चालू करने में सरकार के सामने कोई विशेष कठिनाई नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि भारी पानी आवश्यक से मामूली सी कम मात्रा में

मिला है । बिजलीघर को चालू करने के लिए आवश्यक भारी पानी की अधिकांश मात्रा प्राप्त हो चुकी है तथा शेष मात्रा के भी शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । बिजलीघर इस स्थिति में है कि उसे चालू किया जा सकता है । आशा है कि चालू करने का काम इस वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जाएगा ।

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन नियम

5310. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियमों का ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार नियमों की एक अद्यतन संशोधित प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : केन्द्रीय स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 की एक प्रतिलिपि जिसमें इसकी मुख्य विशेषतायें और पात्रता के लिये वर्तमान मानदण्ड दिए गए हैं, सभा पटल पर रखी जाती है ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 15-8-72 से शुरू हुई थी । योजना में जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों को, यदि वे जीवित न हों तो उनके परिवारों को और शहीदों के परिवारों को पेंशन देने की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को पेंशन स्वीकृति नहीं की जा सकती ।

परिवार में माता, पिता और विधुर/विधवा, यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो, अविवाहित पुत्रियां और ऐसे आपवादिका मामलों में पुत्र शामिल होंगे जहां स्वतन्त्रता सेनानियों की सजा/उनके शहीद होने के कारण वे स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ रहे ।

इस योजना के प्रयोजनों के लिए तत्कालीन राजाओं की रियासतों के 15 अगस्त, 1947 के बाद भारतीय संघ में विलयन के लिए आन्दोलन और भूतपूर्व फ्रांसीसी व पुर्तगाली कालोनियों में हुए स्वतन्त्रता संग्राम भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक अंग समझे गये हैं ।

आजाद हिन्द फौज तथा भारतीय स्वाधीनता लीग में भाग लेने को भी राष्ट्रीयता मुक्ति संघर्ष में भाग लेना माना गया है ।

पात्रता : इस योजना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्ति स्वतन्त्रता सेनानी हैं :--

(क) वह व्यक्ति जिसने स्वाधीनता से पहले भारत की मुख्य भूमि (मेनलैण्ड) जेलों में कम से कम छः महीने की जेल काटी है । किन्तु भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी तब भी पेंशन के पात्र होंगे यदि उनकी सजा नजरबन्दी भारत के बाहर हुई हो ।

स्पष्टीकरण : 1. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन नजरबन्दी को कारावास समझा जाएगा ।

2. सामान्य छूट (रेमिशन) की अवधि को वास्तविक सजा का भाग माना जाएगा ।

3. जिन मुकद्दमों में अन्ततः सजा हुई हो उनमें विचारण अवधि को काटी गई वास्तविक सजा में गिना जाएगा ।

4. सजा की अलग अलग अवधियों को जोड़ दिया जाएगा तथा उन्हें एक गिना जाएगा ।

(ख) वह व्यक्ति जो छः महीने से अधिक भूमिगत (अन्डर ग्राउन्ड) रहा हो बशर्ते कि :

1. वह घोषित अपराधी रहा हो, अथवा

2. उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया हो अथवा

3. उसकी नजरबन्दी के आदेश जारी किए गए हों । किन्तु तामील न हुये हों ।

(ग) वह व्यक्ति जो अपने घर में नजरबंद (इनटर्ड) रखा गया हो अथवा अपने जिले से निष्कासित किया गया हो बशर्ते कि बन्दीकरण/निष्कासन की अवधि छः महीने या उससे अधिक हो ।

(घ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त की गई हो अथवा कुर्क की गई अथवा बेच दी गई हो ।

(ङ) वह व्यक्ति जो गोली चलने अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो ।

(च) वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण अपनी असैनिक अथवा सैनिक नौकरी अथवा आजीविका के साधन से वंचित हो गया हो ।